दिनांक 01.04.2024
प्रेस विज्ञप्ति 01/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद प्रतापगढ़/थाना पट्टी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.04.2024 को थाना पट्टी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चाँदा रोड पर आमापुर मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आकाश उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना पट्टी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पट्टी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आकाश उर्फ बाबा निवासी चन्दवा पट्टी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

कमिश्नरेट आगरा/थाना हरीपर्वत

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 31.03.2024 को थाना हरीपर्वत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खन्दारी चौराहा टीपी नगर से पुरस्कार घोषित अभियुक्त तनुज को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शाहगंज पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–तनुज निवासी जोगी पाडा, रूई मण्डी थाना शाहगंज, आगरा।

कमिश्नरेट आगरा/थाना हरीपर्वत

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 31.03.2024 को थाना हरीपर्वत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आईएसबीटी के पास सर्विस रोड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त वीरेश उर्फ वीपी उर्फ वीरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सिकन्दरा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वीरेश उर्फ वीपी उर्फ वीरेन्द्र निवासी नई बस्ती पजाया थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

अनुभाग लखनऊ/थाना जीआरपी अयोध्या कैण्ट

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.04.2024 को थाना जीआरपी अयोध्या कैण्ट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना जीआरपी अय़ोध्या कैण्ट पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जीआरपी अयोध्या कैण्ट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मनीष कुमार निवासी ग्राम मनऊर थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई</u>

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **06 जीवित कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 31.03.2024 की रात्रि थाना डिबाई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम घुसराना गैल गेट के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्त रूपेस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 10 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 06 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना डिबाई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रूपेस निवासी ग्राम घुसराना गैल थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1—10 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2—06 जीवित कारतूस विभिन्न बोर।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना कोतवाली

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 ई–रिक्शा की बैट्री बरामद**

दिनांक 31.03.2024 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पाताल पुरी मठ नवापुरा के पास से 03 अभियुक्तों 1–आशीष कुमार 2–अंकित 3–विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 ई–रिक्शा की बैट्री बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आशीष कुमार निवासी पंचकोशी रसूल गढ़ थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

2–अंकित निवासी रायपुर थाना बहरिया बाद जनपद गाजीपुर।

3–विकास निवासी रोपनपुर नटुई थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

1–चोरी की 08 ई–रिक्शा की बैट्री।

जनपद मथुरा/थाना कोतवाली

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा 315 बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 01.04.2024 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तिलक नगर रेलवे लाइन के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्त योगेश उर्फ बोना उर्फ मोना को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा 315 बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–योगेश उर्फ बोना उर्फ मोना निवासी भगवती नगर रूकमणि विहार थाना कोतवाली जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट मेरठ

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 51 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनांक 01.04.2024 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट मेरठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पैरिफेरल की ओर से सिरसा गोलचक्कर के पास से 02 अभियुक्तों 1–मोनू 2–अशोक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 51 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा, 02 मोबाइल फोन, 01 कार आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कासना कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोनू निवासी प्रिया एन्क्लेव थाना वृन्दावन जनपद मथुरा।

2–अशोक निवासी जयसिंहपुर थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–लगभग 51 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा।

2–02 मोबाइल फोन।

3–01 कार आदि।

- **जनपद बिजनौर/थाना नगीना देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 62–62 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बिजनौर द्वारा थाना नगीना देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/149/323/504/506(2)/302 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रतनपाल 2–चमन 3–मदनपाल 4–पवन कुमार 5–सूरज को आजीवन कारावास व 62–62 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 59 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना उत्तर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त छोटू उर्फ योगेश को 20 वर्ष के कारावास व 59 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना करारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना करारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामप्रसाद उर्फ राजेश कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।